

भारतीय मानक ब्यूरो (वित्त विभाग)

विषय: आयकर गणना के प्रयोजन के लिए बचत का विवरण वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए

उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के परिपत्र सं. एफआईएन/2.37/आयकर/2022-23 दिनांक 05.12.2022 के संदर्भ में जिसके तहत बीआईएस के कर्मचारियों और पेंशनरों से अनुरोध किया गया था कि वे आयकर गणना हेतु बचत की पुष्टि करने वाले सहायक दस्तावेज 15 दिसंबर 2022 तक उपलब्ध कराएं जिसका विवरण उनके द्वारा तक फॉर्म 48 और फॉर्म 48-ए में वर्णित किया गया है , ऐसा न करने पर कर बचत की छूट को ध्यान में नहीं रखा जाएगा और आयकर की फिर से गणना की जाएगी जिसकी वेतन/ पेंशन से कटौती दिसंबर 2022/ जनवरी 2023/ फरवरी 2023 माह में की जाएगी ।

इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बचत का विवरण 8 फरवरी 2023 तक उपलब्ध कराने का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। इसलिए सभी कर्मचारी और पेंशनभोगी अब 8 फरवरी 2023 तक अपनी बचत का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। ताकि इसे रिकॉर्ड में शामिल किया जा सके और फरवरी 2023 के महीने के लिए आयकर को तदनुसार समायोजित किया जा सके।

एसडी/-
(गुरप्रीत सिंह)
निदेशक (वित्त)

संदर्भ: फिन/2:37/आयकर/2022-23

दिनांक: 03.02.2023

सूचना और अनुपालन के लिए - बीआईएस इंटरनेट के माध्यम से बीआईएस के सभी अधिकारियों /कर्मचारियों/ पेंशनरों को परिचालित किया गया ।

प्रतिलिपि: आईटीएसडी - बीआईएस इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
(FINANCE DEPARTMENT)

Sub: Particulars of savings for the purpose of Income Tax calculation for the financial Year 2022-23

Reference is invited to Finance Department Circular No. FIN/2.37/Income Tax/2022-23 dated 05.12.2022 on the above cited subject, vide which employees and pensioners of BIS were requested to make available the details the supporting documents confirming the savings indicated by them in Form 48 and Form 48-A by 15th December 2022, failing which the exemption of tax savings would not be taken into account and the Income Tax would be re-calculated and deducted from the salary of December 2022/January/February 2023.

In this regard, it has been decided that the last opportunity may be given to the employees and pensioners to provide the details of the savings by 8th February 2023. Therefore, all employees and pensioners may now furnish the details of their saving by **8th February 2023** so that the same may be taken into account in records and the Income Tax for the month of February 2023 may be adjusted accordingly.

SD/-
(GURPREET SINGH)
DIRECTOR FINANCE)

Ref: FIN/2:37/Income Tax/2022-23
Dated: 03.02.2023

Circulated through BIS Intranet to all Officers/Staff/Pensioners of BIS - for information and compliance

Copy to :ITSD – for uploading on BIS Intranet